तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15-4-21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13-5-21 को पेश हो।	
13-5-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10-6-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी [redacted]	
10-6-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-7-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29-7-21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31-8-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
31-8-21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो ने बहस करनी चाहि। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, गैरसायल सरकार के जवाब का अध्ययन किया, विवादित आराजियात ग्राम च्यांरवेड [illegible] तहसील मांडल मे स्थित होकर प्रार्थी के पिता हीरा पिता किशना कुम्हार देह खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2066-2069 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजो एव प्रार्थना	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:33 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम किसना के बजाय केसु नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी ताईद प्रस्तुत आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि की फोटो प्रति ऐव जमाबंदी सवंत 2073 - 2076 के खाता सं. 1527, 1527/1 से होती है उसी अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम किसना के बजाय केसु नाम अंकित करवाना चाहता है ताकि बोल-चाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अत: :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चांखेड पटवार हल्का चाँखेड तहसील माण्डल जिला - भीलवाड़ा मे स्थित खाता सं. 501 मे आराजी नं. 1878/42 मे रकबा कुल 0.1391 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकार्ड मे हीरा पुत्र किसना कुम्हार के बजाय हीरा पुत्र केसु कुम्हार नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि मे प्रार्थी के पिता का नाम [illegible] दर्ज किया जावे। तहसीलदार मांडल राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:33 IST
Reason: SelfAttested